



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03052023-245618
CG-DL-E-03052023-245618

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1941]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 2, 2023/वैशाख 12, 1945

No. 1941]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 2, 2023/ VAISAKHA 12, 1945

कोयला मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 2 मई 2023

का.आ. 2029(अ).—कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा कोयला मंत्रालय में तारीख 07 मई, 1960 को जारी पत्र संख्या सी2-21(1)/63 के जरिए भारत सरकार के आदेश में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

2. उक्त आदेश में, निबंधन एवं शर्तें संख्या (5) के पश्चात, निम्नलिखित निबंधन एवं शर्तें शामिल की जाएंगी, अर्थात्:-

“(6) खंड (4) के होते हुए भी, सरकारी कंपनी ऐसी निहित कुल भूमि में से खंड (7) में यथा-विनिर्दिष्ट भूमि के उक्त भाग को, कोयला मंत्रालय में तारीख 22 अप्रैल, 2022 के कार्यालय ज्ञापन सं. 43022/1/2020-एलएआईआर के जरिए भारत सरकार द्वारा जारी कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 के तहत अधिग्रहित भूमि के उपयोग के लिए नीतिगत दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी भी अन्य व्यक्ति को पट्टे पर दे सकती है; और

(7) तारीख 08.02.1963 और 08.11.1978 के उपर्युक्त पत्र द्वारा उक्त सरकारी कंपनी को कुल 3,110.00 एकड़ (लगभग) भूमि निहित की गई थी। धारा 9(1) के तहत जारी और भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित तारीख 29.12.1962 की अधिसूचना का.आ. 3894 और तारीख 29.12.1962 की अधिसूचना का.आ. 02-20(15)/62 के अनुसार, ग्राम – कोइहरा और गौरबेरा, सर्किल/थाना -पहले रामगढ़ अब चितरपुर, जिला-पहले हज़ारीबाग अब रामगढ़, पहले बिहार अब झारखंड में 3110.00 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई थी, जिसमें से ग्राम कोइहरा और गौरबेरा, प्लॉट सं. 92, 6 और 4(पी) की 16.03 हेक्टेयर भूमि का उपयोग तारीख 22 अप्रैल, 2022 के नीतिगत दिशा-

निर्देशों में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों की पूर्ति के अध्यक्षीन, परियोजना के शुरु होने की तारीख से 21 वर्षों की पट्टा अवधि के लिए बीओओ अवधारणा पर न्यू रजरप्पा कोकिंग कोल वॉशरी (3एमटीवाई) की स्थापना और इसके बाद इसके प्रचालन के लिए किया जा सकता है।”

[फा.सं. 43022/03/2023 एलएआईआर]

भवानी प्रसाद पति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COAL

ORDER

New Delhi, the 2nd May, 2023

S.O. 2029(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957), the Central Government hereby make the following amendments in the Order of the Government of India in the Ministry of Coal vide letter no. C2-21(1)/63 issued on 07, May 1960:-

2. In the said Order, after terms and condition number (5), the following terms and condition shall be inserted, namely:-

“(6) Notwithstanding clause (4), the Government company may grant the said part of land as specified in clause (7) out of the total land so vested, on lease to any other person in accordance with the Policy Guidelines for use of land acquired under the Coal Bearing Areas (Acquisition & Development) Act, 1957 issued by Government of India in the Ministry of Coal vide OM No. 43022/1/2020-LAIR dated 22nd April, 2022; and

(7) The total 3,110.00 Acres (approximately) land was vested to the said Government company vide above letter dated 8.2.1963 and 8.11.1978. As per Notification S.O. 3894, dated 29.12.1962 and S.O. 02-20(15)/62 dated 29.12.1962 issued under section 9(1) and published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), the **3110.00 Acre** of land was acquired in villages –Koihara and Gourabera, Circle/Thanal – Previously Ramgarh now Chitarpur, District- Previously Hazaribagh now Ramgarh, Previously Bihar now Jharkhand, out of which 16.03 hectare land of village- Koihara and Gourabera, Plot No. 92, 6 and 4(p) can be used for setting up and thereafter operation of New Rajrappa Coking Coal Washery (3 MTY) on BOO concept **for a lease period of 21 years from the date of the starting of the project construction**, subject to fulfillment of the terms and conditions mentioned in the Policy Guidelines dated 22nd April, 2022.”

[F.No. 43022/03/2023-LAIR]

BHABANI PRASAD PATI , Jt. Secy.